प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्यासी ' [10/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5007]

परिशिष्ट का प्रपत्र – 1

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5007,
प्रश्नकर्ता – श्री आरिफ अकील
सदन में उत्तर देने की तिथि – 10.03.2016
प्रश्नांश ''ख'' की जानकारी
रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल की प्राप्त शिकायतों के संबंध मे की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	पदाधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई	कार्यवाही का विवरण
1.	श्री अमरनाथ मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष	1. संस्था के 79 भूखण्डों की रजिस्ट्रियां अवैध तरीके करने से दोषी पाये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल को धारा 420, 467, 487, 471, 120(बी) भा.द.वि. के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखा गया। 2. उक्त 79 भूखण्डों के पंजीयन शून्य अवैध घोषित कराने हेतु संस्था को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04.09.2010 को निर्देशित किया गया। 3. जिला पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भोपाल को 79 भूखण्डों के पंजीयन पर अन्य विक्रय पर रोक लगाने एवं आयुक्त, नगर निगम भोपाल को उपरोक्त भूखण्डों की भवन अनुमति पर रोक लगाने एवं यदि उपरोक्त किसी भूखण्ड की पूर्व में अनुमति जारी कर दी गई हो तो उसे निरस्त करने हेतु लिखा गया। 4. संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री अमरनाथ मिश्रा एवं श्री एन.एल. रोहितास के विरूद्ध थाना मिसरौद में अपराध क्र. 24/12, धारा 420 पंजीबद्ध किया गया, जो विवेचनाधीन है। 5. श्री मिश्रा के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76(2) के तहत अंतिम आदेश दिनांक 28.10.2013 को पारित कर प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के मसख प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
2.	श्री एन.एल. रोहितास, पूर्व अध्यक्ष	1. संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 29 आवंटित भूखण्डों का अन्य व्यक्यिों एवं सदस्यों के नाम पंजीयन कराने के संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया। 2. जांच प्रतिवेदन अनुसार 29 अपात्र सदस्यों को पंजीकृत कराये गये भूखण्डों के पंजीयन निरस्त किये जाने एवं संस्था के पूर्व पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 3. उप आयुक्त, सहकारिता, भोपाल द्वारा आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को 29 भूखण्डों के संबंध में भवन निर्माण अनुमति जारी नहीं किये जाने एवं उक्त भूखण्डों पर अनुमति जारी कि जा चुकी हो तो उसे निरस्त करने हेतु हेतु लिखा गया।

		4. श्री रोहितास, तत्कालीन अध्यक्ष एवं संस्था के पूर्व संचालक को सहकारी अधिनियम की धारा 76(2) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। यह प्रकरण माननीय न्यायालय जे.एम.एफ. सी. में प्रकरण क्र. आर.टी.–803/10 से विचाराधीन है। 5. पुलिस अधीक्षक, भोपाल को श्री रोहितास द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी कर 29 अपात्र सदस्यों के नाम रजिस्ट्री कराकर आपराधिक कृत्य किये जाने से प्रकरण दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसमें थाना शाहजनाबाद, भोपाल द्वारा धारा 420, 467 एवं 471 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण क्र. 612/09 पंजीबद्ध किया गया।
3.	श्री एम.के. सिंह, नामांकित कमेटी के पूर्व अध्यक्ष	1. श्री सिंह के द्वारा 18 अपात्र सदस्यों को 17 भूखण्डों एवं 01 दुकान का पंजीयन किये जाने के प्रकरण की जांच आदेशित की गई। 2. जांच प्रतिवेदन अनुसार 18 अपात्र सदस्यों को भूखण्डों/दुकान के पंजीयन में की गई अनियमितता के संबंध में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 76(2) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 3. उक्त धारा 76(2) के प्रकरण में सुनवाई उपरांत प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। यह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 4. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को उक्त 17 भूखण्डों एवं 01 दुकान के संबंध में भवन निर्माण अनुमति जारी नहीं किये जाने एवं यदि अनुमति जारी की जा चुकी हो, तो उसे निरस्त करने हेतु लिखा गया। 5. नामांकित कमेटी के अध्यक्ष श्री सिंह एवं अन्य दो के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, भोपाल को लिखा जाकर थाना शाहजानाबाद में धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण क्र. 613/09, दिनांक 15.10.2009 पंजीबद्ध किया गया।
4.	वर्तमान संचालक मण्डल	1. संस्था की प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु संस्था द्वारा जानकारी व संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से संस्था के संचालक मण्डल एवं प्रबंधक को सहकारी अधिनियक की धारा 56(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 2. जानकारी व रिकार्ड उपलब्ध न कराये जाने से सहकारी अधिनियम 56(3) के तहत श्री रामबहादुर को संस्था अध्यक्ष/संचालक पद से निरर्हित किया गया तथा श्री ए.के. शुक्ला, संस्था प्रबंधक को राशि रूपये 50,000/– की शास्ति अधिरोपित की गई। 3. सहकारी अधिनियम की धारा 56(3) के अंतर्गत अध्यक्ष एवं संचालक पद से श्री रामबहादुर को निरर्हित किये जाने का आदेश दिनांक 20.01.2014 को जारी किया गया। 4. संस्था की प्रबंध समिति का कार्यकाल जून 2013 में पूर्ण हो जाने तथा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सहकारी अधिनियम की धारा

		53(12) के अंतर्गत संस्था की प्रबंध समिति के परिविरत हो जाने से संस्था के कार्य संचालन हेतु दिनांक 01.02.2014 प्रशासक की नियुक्ति की गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय पंजीयक द्वारा दिनांक 25.02.2014 को उक्त आदेश निरस्त किया गया। 5. संस्था के वर्ष 2005–06 से अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराये जाने से आदेश दिनांक 08.10.2012 से सहकारी अधिनियम की धारा 57(1) अंतर्गत रिकार्ड जब्ती हेतु जब्ती अधिकारी की नियुक्ति की गई। 6. जब्ती अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध न होने पर सहकारी अधिनियम की धारा 57–ए(1) के तहत सर्च वारंट जारी करने हेतु आवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी टी.टी. नगर, भोपाल को प्रस्तुत किया गया। 7. संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने से कार्या. आदेश दिनांक 19.06.2015 के द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 49(7)(ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया। 8. कार्या. पत्र दिनांक 29.01.2015 के द्वारा पूर्व अध्यक्ष एवं तत्कालीन संचालक मण्डल के सदस्यों के साथ–साथ प्रबंधक के विरूद्ध संस्था के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में अनाधिकृत रूप से रखने एवं हिसाब–किताब प्रस्तुत न करने के कारण उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देश दिये गये। 9. थाना ऐशबाग भोपाल में संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री रामबहादुर एवं प्रबंधक श्री ए.के. शुक्ला के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से संस्था के अभिलेख एवं सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि अपने कब्जे में रखने के कारण आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु दिनांक 12.02.2015 को लिखा गया। 10. कार्या. पत्र दिनांक 19.11.2015 से सहकारी अधिनियम की धारा 57–ए1 के अंतर्गत सर्च वारंट जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी शहर (वृत्त) भोपाल को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

2/3

अपर आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश